न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल सदस्य सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र०

Rs-30/-

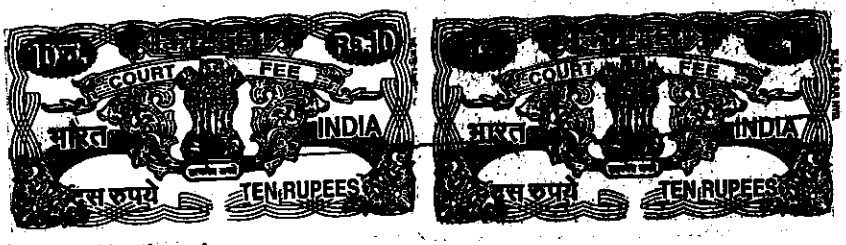

RS127-III/16

पुष्पराज सिंह आ० स्व० बाला सिंह उम्र 40 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम करसरा नं. 2 तहसील मानपुर जिला उमरिया म०प्र० — — — निगरानी कर्ता

बनाम

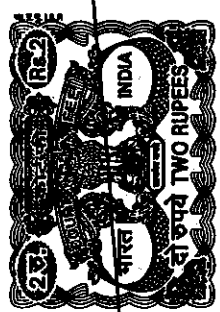

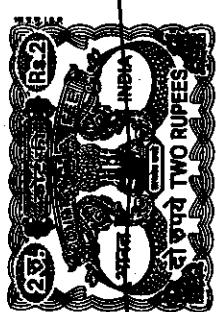

श्रीमती रामबाई बेवा रामदुलारे बर्मन उम्र 65 वर्ष पेशा गृहणी निवासी करसरा नं. 1 तहसील मानपुर जिला उमरिया म० प्र० — — — उत्तरवादी

श्री रवीन्द्र कु० [illegible] द्वारा आज दिनांक 09-03-16 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं०[illegible]

निगरानी विरुद्ध सीमांकन रा०प्र०क्र० 07अ/12/15-16 मे पारित आ० दि० 29.01.2016 /

मान्यवर,

निगरानी कर्ता निम्नांकित निवेदन करता है।—

01- यह कि निगरानी कर्ता 72/1, 72/2 स्थित ग्राम करसरा [illegible] की भूमि का भूमिस्वामी है, तथा उक्त भूमि का सीमांकन तहसीलदार मानपुर के द्वारा रा0नि0 की टीम गठित कर रा0प्र0क्र0 20अ/12/06-07 में पारित आ0दि0 02-07-2007 से सीमांकन की पुष्टि की गई थी, तदसमय पर निगरानी कर्ता का उक्त भूमि पर कब्जा पाया गया था, निगरानी कर्ता का किसी अन्य सरहद्दी कास्तकार की भूमि पर कब्जा भी नहीं पाया गया था, तदसमय के सीमांकन सीमा पर बने सीमा चिन्ह पर काबिज काश्त होते चला आ रहा था/

02 यह कि निगरानी कर्ता के सरहद्दी कास्तकार उत्तरवादी आ0ख0नं0 71 रकबा 0.299 हे0 की भूमिस्वामी है का सीमांकन दिनांक 23-12-2015 को बिना किसी सरहद्दी कास्तकार को सूचना दिए सीमांकन कर दिया गया है। जो सीमांकन नियम की उपेक्षा करके उत्तरवादी को फायदा दिलाने के लिए सीमांकन किए जाने से निरस्तनीय है/

पुष्पराज सिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5127–तीन/2016 जिला उमरिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18–11–2016	आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक चिल्हारी जिला उमरिया के प्रकरण कमांक 7/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 29–1–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेज़ों का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि अनावेदिका द्वारा स्वयं की भूमि के सीमांकन बावत आवेदन राजस्व निरीक्षक को प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 23–12–15 को सीमांकन कार्यवाही की गई। सीमांकन पंचनामके के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के पंचनामे पर हस्ताक्षर नहीं है और न ही पंचनामे पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर से इंकार करने के टीप अंकित है। इससे स्पष्ट है कि सीमांकन की प्रकिया आवेदक के समक्ष संपादित नहीं की गई है। जहां तक राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित अंतिम आदेश का प्रश्न है राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख अपने आदेश में किया किन्तु उक्त आपत्ति को क्यों निरस्त किया जा रही है इसका कोई स्पष्ट कारण अपने आदेश में उल्लिखित नहीं किया है। दर्शित परिस्थितियों में राजस्व निरीक्षक द्वारा अपनाई गई सीमांकन प्रकिया एवं आदेश को विधिसंगत नहीं कहा जा सकता है। अतः राजस्व निरीक्षक चिल्हारी जिला उमरिया का आदेश दिनांक 29–1–16 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक सहित सभी	

सरहदी कास्तकारों की उपस्थिति में विधि अनुसार सीमांकन कार्यवाही संपादित की जाये। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस. एस. अली)
सदस्य